

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर (राज.)

(न्याय निर्णयन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 51/2024 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि./नियम)

GCMS NO : 2024/71

अनवान

1. राज्य सरकार जरिये श्री नरेन्द्र सिंह चौहान, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उदयपुर (राज.)

-प्रार्थी

बनाम

1. श्री कालुराम तैली पिता श्री सुन्दरलाल तैली मैसर्स श्री ओम नमकीन एण्ड मिष्ठान भण्डार तेलीवाडा ग्राम बेदला स्थाई पता श्री ओम नमकीन एण्ड मिष्ठान भण्डार तेलीवाडा ग्राम बेदला तह. बडगांव मो. 8079087916

-विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री नरेन्द्र सिंह चौहान, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।
2. स्वयं विपक्षी।

¹ अन्तर्गत धारा 26 (2)(ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, नियम 2011

●निर्णय●

दिनांक 30-09-2024



प्रकरण की संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ5(1)चिस्वा./गुप-3/2022 दिनांक 02.12.2022 के अनुसार श्री नरेन्द्रसिंह चौहान, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद में राज्य सरकार है द्वारा उक्त विपक्षी पर मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ विक्रय करने हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि राज्य सरकार की ओर से वे दिनांक 02.11.2023 को दोपहर 05.15 पी.एम वास्ते चेकिंग मैसर्स श्री ओम नमकीन एण्ड मिष्ठान भण्डार तेलीवाडा ग्राम बेदला स्थाई पता श्री ओम नमकीन एण्ड मिष्ठान भण्डार तेलीवाडा ग्राम बेदला पर पहुँचे, वहां विपक्षी श्री कालुराम तैली उपस्थित पाये गये, जिन्होंने स्वयं को मैसर्स श्री ओम नमकीन एण्ड मिष्ठान भण्डार तेलीवाडा ग्राम बेदला स्थाई पता श्री ओम नमकीन एण्ड मिष्ठान भण्डार तेलीवाडा ग्राम बेदला का मालिक/विक्रेता होना बताया। विक्रेता से फर्म का अनुज्ञापत्र/ रजिस्ट्रेशन मांगा जो उपलब्ध पाया।

निरीक्षण के समय पाया कि उक्त विक्रेता दुकान पर विभिन्न नमकीन बनाकर बेचता है। दुकान में लगभग 10 किलोग्राम नमकीन बारिक आम जनता को बिक्री वास्ते रखा पाया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)



सर्टिफिकेट/अनसेफ की शंका होने से उक्त नमकीन बारिक में से 2 कि.ग्रा. वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर V A पर दी। क्रय शुद्धा नमकीन की कीमत विक्रेता के बताये अनुसार 240 रु. नकद चुका रसीद प्राप्त की।

प्रार्थी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा नमकीन बारिक को विक्रेता तथा गवाहान की उपस्थिति में चार साफ, सुखे व खाली प्लास्टिक के जारों में बराबर मात्रा में भरकर (प्रत्येक जार में 500 ग्राम) भरकर फार्मेलिन की 40 बूंद प्रत्येक जार में डालकर इनका मुँह ढक्कन की सहायता से कसकर एयरटाइट बन्द किया, नियमानुसार सीलबन्द किये। प्रत्येक जार पर लेबल चिपकाया व लेबल पर नमूना कोड व क्रमांक, नमूना लेने की दिनांक एवं स्थान, नमूने की किस्म अंकित कर हस्ताक्षर किये एवं विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं जार को सील कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लीप नम्बर ए.ए-2470 का एक-एक भाग प्रत्येक नमूने के जार पर पेंदे से शीर्ष तक चिपका कर सील बंद नमूने के जार पर खाद्य कारोबारकर्ता के पेपर स्लीप व रेपर पर नियमानुसार क्रॉस हस्ताक्षर कराये एवं नमूने की सील भागो को कब्जे में लिया। फार्म नम्बर 5ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के आउटकवर में सील कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते जांच भेजा। साथ में फार्म न. 6 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित था एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के एक सील बंद भाग को मय फार्म न. 6 की प्रतियों के आउटकवर में सील बंदकर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर को जमा कराई व नमूने के चौथे भाग को फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/10491 दिनांक 01.12.2023 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस/925/एक्ट /2023/925 दिनांक 09.11.2023 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उक्त नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबसर्टिफिकेट होना पाया गया। क्योंकि Butyrefractometer reading at 40 C 54.0-57.1(Groundnut oil) होना चाहिए था, कि जगह 58.88 पाया गया एवं Iodine value 85-99(Groundnut oil) होना चाहिए था, कि जगह 118.53 पाया गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/10490 दिनांक 01.12.2023 के द्वारा विक्रेता को धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरुद्ध अपील हेतु रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूने की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं अधिकारी को प्रस्तुत करने पर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस. एस.ए./2024/3445 दिनांक 05.06.2024 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस को न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।



कार्मिक (क-4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो मे कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। सुनवाई हेतु नियत तिथि को स्वयं आरोपी उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर अपने आरोप को स्वीकार किया एवं कम से कम जुर्माना राशि से दण्डित किया जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस प्रारंभ करते हुए न्याय निर्णयन आवेदन मे वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं अनुरोध किया कि वक्त निरीक्षण खाद्य उत्पाद नमकीन बारिक का सेम्पल लिया गया, जो खाद्य विश्लेषण हेतु खाद्य विश्लेषक, उदयपुर को भेजा जाने पर रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिससे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत उक्त खाद्य नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। ऐसे मामलों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति का प्रावधान अंकित हैं। अतः आरोपी को अधिकाधिक शास्ति के दण्ड से दंडित किये जावे।

विपक्षी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि एक ही दिवस को दो खाद्य सुरक्षा अधिकारी दुकान पर आये व दोनो ने सेम्पल लिये। एक प्रकरण मठरी का निस्तारित हो गया है जिसका जुर्माना 1,00,000/- एक लाख रूपया नियत समय में जमा करा दिया गया है। मैं छोटा व्यापारी होकर छोटी सी दुकान चलाता हूं। दूसरा प्रकरण देरी से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किया है। मौके पर मात्र 10 किलोग्राम नमकीन ही थी जिसका सेम्पल लिया गया है। मेरी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है। पूर्व में भारी जुर्माना जमा करा चुका हूं। अतः उक्त प्रकरण में माफी प्रदान कर कार्यवाही ड्रॉप की जाने की प्रार्थना की।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली मे उपलब्ध न्याय निर्णयन आवेदन, विपक्षी के प्रार्थना पत्र, खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय पाया कि उक्त विक्रेता दुकान पर विभिन्न नमकीन बनाकर बेचता है। दुकान में लगभग 10 किलोग्राम नमकीन बारिक आम जनता को बिक्री वास्ते रखा पाया। सबस्टैण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से उक्त नमकीन बारिक में से 2 कि.ग्रा. वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर VA पर दी। खाद्य विश्लेषण हेतु खाद्य विश्लेषक, उदयपुर को भेजा जाने पर रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिससे खाद्य सुरक्षा एवं मानक


न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत उक्त खाद्य नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। क्योंकि **Butyrefractometer reading at 40 C 54.0-57.1(Groundnut oil)** होना चाहिए था, कि जगह **58.88** पाया गया एवं **Iodine value 85-99(Groundnut oil)** होना चाहिए था, कि जगह **118.53** पाया गया।

मामले में यह भी कहना उचित होगा कि कोई भी उपभोक्ता उसके स्वास्थ्य लाभ के लिये विश्वास के आधार पर खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता से खाद्य उत्पाद को क्रय कर उसका सेवन/उपयोग करता है एवं प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता का यह दायित्व है कि वह ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं दिशा निर्देशों की पूर्णतया पालना करे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 में सबस्टैण्डर्ड के मामलों में अधिकतम राशि 5,00,000/- शास्ति का प्रावधान अंकित है। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए एवं मामले की प्रकृति को देखते हुए एवं एक ही दिवस को दो सेम्पल लेने पर एक का जुर्माना नियत समय पर जमा कराने से आरोपी की स्थिति को देखते हुए आरोपी आर्थिक दण्ड से दंडित किये जाने योग्य है।

इस प्रकार विपक्षी द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय करने से खाद्य एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लंघन करने पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध कारित होने से विपक्षी को ₹25,000/- अक्षरे रूपया पच्चीस हजार मात्र के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य में सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थों का निर्माण/विक्रय न करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि "न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर" के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से एक माह में आवश्यक रूप से जमा करावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



18m

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)